



बिहार राज्य

भारत, इण्डिया

बिहार राज्य विधानसभा

15 फ़र्म 1928 (श०)

(स० पटना 18)

पटना, शुक्रवार, 5 जनवरी 2007

मंत्रिमण्डल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर 2006

संख्या सं०का०-१।वि०मं०(सदस्यों) 4023।2006—1375—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं० 16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006

1. सक्षिप्त नाम और आरम्भ।—(1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006 कहीं जा सकेगी।

(2) यह मूल नियमावली की अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8(घ)(1) में संशोधन—उक्त नियमावली के द्वितीय पंक्ति में, शब्द “एवं” को एतद द्वारा विलोपित फ़िया जाता है तथा नियम 8(घ) के स्पष्टीकरण की अंतिम पंक्ति में शब्द “बढ़े” शब्द “पड़े” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9(1)(क) के द्वितीय परन्तुक में संशोधन।—नियम 9(1)(क) के द्वितीय परन्तुक की पांचवीं पंक्ति में शब्द “तथा” शब्द “अथवा” के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश्वर प्रसाद गिर,
सरकार के सचिव।

NOTIFICATION

The 29th December 2004

No. P.A.-1/V.M.(Legislature)4023/2006—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Bihar Legislature (Members, Salaries Allowances and Pension) Act, 2006 (Bihar Act 16 of 2006), the Governor of Bihar pleased to make the following Rules to amend the Bihar Legislature (members' Salaries, Allowances and Pension) Rules, 2006.

Bihar Legislature (Members, Salaries, Allowances and Pension) (Second Amendment)
Rules, 2006

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Bihar Legislature (Members, Salaries, Allowances and Pension) (Second Amendment) Rules, 2006.
(2) It shall be deemed to be come into force with effect from the date of notification of Original Rules.

2. *Amendment in Rule 8(d)(i) of the said Rules.*—In second line of Rule 8(d)(i), the word “and” is hereby deleted and in the last line of explanation to Rule 8(d), the word “बहु” is substituted by the word “एवं”

3. *Amendment in Second proviso to Rule 9(1)(a) of the said Rules.*—In the fifth line of second proviso to Rule 9(1)(a), the word “and” is hereby substituted by the word “or”.

By order of the Governor of Bihar,
AKHILESWAR PD. GIRI,
Secretary to Government.